कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
काम्पलेक्स (बी) ब्लाक गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/तक./पैडी हार्वे.के./2025-26/..3206..(विस्तृत)

भोपाल, दिनांक 19-12-2025

पैडी हार्वेस्टर केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदनों के आमंत्रण की सूचना (वर्ष 2025-26)

कृषकों को कृषि फसलों की कटाई हेतु किराये पर पैडी हार्वेस्टर (6-8 फ़ीट) उपलब्ध कराकर सेवाऐं देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर पैडी हार्वेस्टर केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से ''ऑन-लाईन'' आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन की प्रक्रिया -

1. प्रदेश में **कुल 10 (सामान्य-05,अनुसूचित जाति-02,अनुसूचित जनजाति-03)** पैडी हार्वेस्टर केन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य है जिस हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं । प्राप्त कुल लक्ष्यों का विभाजन प्रदेश की एनएफएसएम धान घोषित जिलों (सूची परिशिष्ट -1 पर संलग्न है) में किया जायेगा, इन जिलों से प्राप्त आवेदन पर प्रदेश स्तर की ऑनलाइन लॉटरी (श्रेणीवार) के माध्यम से हितग्राही चयनित होंगे। जिले अनुसार लक्ष्यों को कम करने अथवा बढ़ाने के अधिकार संचालक कृषि अभियांत्रिकी को होंगें। लॉटरी उपरांत प्राथमिकता सूची का निर्धारण किया जावेगा एवं लक्ष्य के अनुरूप मेरिट सूची के चयनित कृषको को अनुदान की पात्रता होगी। मेरिट सूची के आवेदनों के अपात्र पाये जाने पर अग्रिम प्रतीक्षा सूची के आवेदन को अवसर दिया जायेगा। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन वित्तीय **वर्ष 2025-26** हेतु ही वैध रहेंगें । प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु धरोहर राशि रू. 1,00,000/- बैंक ड्राफ्ट के रूप में नीचे बिन्दु क्रमांक-2 में दी गई सूची में उल लेखित **सहायक कृषि यंत्री** के नाम से बनाया जाना होगा। ऑन-लाईन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्केन प्रति अपलोड की जाना होगी। बैंकड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी ।

1.	आवेदन करने की अवधि	-	दिनांक 23 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगें।
2.	कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी पद्धति से प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण	-	दिनांक 31 दिसंबर 2025 को दोपहर 12.00 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल में कम्प्यूटराईज्ड लॉरी की जायेगी। (लॉटरी से निर्धारित की गई श्रेणीवार प्राथमिकता सूचियां संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org पर दिनांक 31 दिसंबर

Director
Directorate of Agri. Engineering
M.P. BHOPAL

			2025 को सांय 5.00 बजे से देखी जा सकेंगी।)
3.	चयनित आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि	-	दिनांक 02 जनवरी 2026 तक प्रातः 10:30 से सायं 5:30 तक

2. जिलों से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों के विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.	आवेदन का जिला	अधिकारी जिसके नाम धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाया जाना है।	संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय का पता
1	भोपाल संभाग एवं नर्मदापुरम संभाग के सम्पूर्ण जिलों हेतु।	''सहायक कृषि यंत्री, भोपाल''	संभागीय कृषि यंत्री, नई जेल रोड, ग्राम-बड़वई भोपाल,

Director
Directorate of Agri. Engineering
M.P. BHOPAL

क्र.	आवेदन का जिला	अधिकारी जिसके नाम धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाया जाना है।	संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय का पता
2	रीवा संभाग एवं शहडोल संभाग के सम्पूर्ण जिलों हेतु।	''सहायक कृषि यंत्री, सतना''	संभागीय कृषि यंत्री, सिविल लाईन, पन्ना रोड़ सतना,
3	जबलपुर संभाग के सम्पूर्ण जिलों हेतु।	''सहायक कृषि यंत्री, जबलपुर''	संभागीय कृषि यंत्री, संजय नगर, आधारताल, जबलपुर
4	सागर संभाग के दमोह एवं पन्ना जिले हेतु।	''सहायक कृषि यंत्री, सागर''	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, बीहड़ कृष्यकरण योजना, सागर संभाग, कृषि अभियांत्रिकी परीसर, पुरानी तहसीली के पास बरिया तिगड्डा, न्यू ऑफिसर कालोनी सागर, पिन कोड 470002
5	ग्वालियर संभाग एवं चंबल संभाग के सम्पूर्ण जिलों हेतु	''सहायक कृषि यंत्री, ग्वालियर'	संभागीय कृषि यंत्री, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड़, ग्वालियर

3. योजनांतर्गत एक ग्राम तथा एक परिवार में केवल एक ही पैडी हार्वेस्टर केन्द्र दिये जाने का प्रावधान है।
4. पूर्व में जिन ग्रामों में या जिस परिवार में यह यंत्र लिया गया है, वे ग्राम / परिवार इसमे पात्र नहीं होंगे। साथ ही जिस आवेदक/परिवार के द्वारा पूर्व में कस्टम हायरिंग केन्द्र/हाईटेक-हब स्थापित किया गया है, वे आवेदक / परिवार भी इसमे पात्र नहीं होंगे।
5. ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया में समस्त प्रकरणों की लॉटरी वर्गवार / श्रेणीवार की जाएगी एवं वर्गवार / श्रेणीवार प्राथमिकता सूची बनाई जाएगी।
6. अभिलेखों का सत्यापन आवेदक द्वारा आवेदित जिले से संबंधित कृषि यंत्री/ कार्यपालन यंत्री कार्यालय में **दिनांक 02.01.2026** को कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जायेगा। उक्त दिनांक को केवल लक्ष्य अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों के अभिलेखों का ही सत्यापन किया जायेगा। अन्य आवेदकों को भविष्य में सूचना देकर बुलाया जावेगा। सत्यापन के दौरान आवेदक को ऑन-लाईन आवेदन के समय अपलोड किये गये मूल बैंक ड्राफ्ट को कार्यालय में जमा कराया जाना होगा। इसके साथ ही आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये मूल अभिलेख जैसे फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल अंकसूची (जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो), जाति प्रमाण-पत्र डिजीटल एवं मूल प्रति (केवल अनु.जाति एवं जनजाति के आवेदकों हेतु), निवास प्रमाण-पत्र (मतदाता परिचय पत्र अथवा आधार कार्ड अथवा ऋण पुस्तिका) सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जाने होंगें।

Director
Directorate of Agri. Engineering
M.P. BHOPAL

7. योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाये गये आवेदकों की धरोहर राशि केन्द्र स्थापित होने पर भौतिक सत्यापन उपरांत लौटाई जा सकेगी, किंतु यदि आवेदक केन्द्र स्थापित करने में रूचि नहीं लेता है (प्रकरण को बैंक में भेजने के बाद) अथवा केन्द्र स्थापित कराने में असफल होता है, तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जायेगी ।

8. लॉटरी से चयनित आवेदकों को सी.ए. के माध्यम से बनाए गए अपने प्रोजेक्ट संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में मार्गदर्शी शिविर के आगामी **10 दिवस** में प्रस्तुत किये जाने होंगे । जिले हेतु निर्धारित लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुये कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रोजेक्टों को परीक्षण उपरान्त भारत सरकार के एग्रीकल्चर इफ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत आवेदन कराया जायेगा। एग्रीकल्चर इफ्रास्ट्रक्चर फंड योजनान्तर्गत हितग्राही को 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी प्राप्त होता है तथा भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट की कोलेटरल गारंटी भी दी जाती है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर संबंधित बैंक अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी। आवेदकों के प्रकरण कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा सीधे संबंधित बैंक को अग्रेषित किये जायेंगे। आवेदकों को बैंकों से ऋण स्वीकृति एवं मार्जिन मनी जमा होने की सूचना कार्यालय द्वारा प्रोजेक्ट भेजने/भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि के एक माह के अन्दर कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी । निर्धारित समयावधि में प्रकरण की स्वीकृति की सूचना बैंक से प्राप्त न होने की स्थिति में प्रकरण निरस्त किया जा सकेगा। केन्द्र की स्थापना किये जाने पर संयुक्त भौतिक सत्यापन (सहायक कृषि यंत्री तथा बैंक अधिकारी) की कार्यवाही संपादित की जायेगी तथा सत्यापन में उपयुक्त पाये गये प्रकरणों में बैंक को **''क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड सबसिडी (Credit Linked Back Ended Subsidy) ''** के रूप में शासन अनुदान का भुगतान संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा किया जायेगा।

पात्रता एवं शर्तेः-

1. योजनांतर्गत हितग्राही को स्वयं के गांव में कृषि कार्यो हेतु पैडी हार्वेस्टर केन्द्र स्थापित करने हेतु अनुदान दिया जाना है। कस्टम हायरिंग केन्द्र के माध्यम से हितग्राही द्वारा कृषकों को कृषि कार्यो हेतु किराये पर मशीनें एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवायें दी जाना होगी।
2. प्रत्येक पैडी हार्वेस्टर केन्द्र हेतु क्रय की लागत (अधिकतम राशि रू. 30.00 लाख) पर **आवेदकों को 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 10 लाख तक** का ''क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड सबसिडी (Credit Linked Back Ended Subsidy'' अनुदान दिया जायेगा । अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना **अतंर्गत भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05 मई 2025 में उल्लेखित प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जावेगी।**

Director
Directorate of Agri. Engineering
M.P. BHOPAL

3. पैडी हार्वेस्टर केन्द्र राशि रू. 20 लाख से अधिक तथा 30 लाख तक की लागत का स्थापित किया जा सकेगा ।
4. बैंक ऋण के आधार पर केन्द्र स्थापित किया जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी । अनुदान का भुगतान ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक को किया जायेगा जो हितग्राही द्वारा बैंक-ऋण की पूर्ण अदायगी किये जाने के उपरान्त हितग्राही के खाते में समायोजित होगा ।
5. योजनांतर्गत आवेदकों की उम्र दिनांक **01.12.2025** को 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।
6. योजनान्तर्गत आवेदकों को न्यूनतम 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा ।
7. पूर्व से ही शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय सेवाओं में कार्यरत् अथवा अन्य शासकीय योजना (भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ''एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड'' (ए.आई.एफ.) योजना को छोड़कर) से रोजगार हेतु लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगें । जानकारी गलत पाये जाने पर संबंधित का प्रकरण निरस्त योग्य होगा।
8. लॉटरी में वर्गवार (सामान्य/एस.सी./एस.टी.) चयनित आवेदक की प्राथमिकता सूची में एक जिले से एक वर्ग के एक आवेदक की पात्रता होगी (प्रत्येक वर्ग में) उक्तानुसार चयनित आवेदक के असफल होने पर प्राथमिकता सूची अनुसार अग्रिम आवेदक की (नियमानुसार) पात्रता होगी।
9. जिस ग्राम में पैडी हार्वेस्टर केन्द्र स्थापित किया जाना है आवेदक को उस ग्राम का निवासी (निवासी प्रमाण-पत्र) होना अथवा उस ग्राम में स्वयं या माता-पिता के नाम से भूमि होने पर ही संबंधित ग्राम में केन्द्र के आवेदन हेतु पात्रता होगी ।आवेदक जिस जिले के अंतर्गत केन्द्र स्थापित करना चाहता है, उसी जिले से आवेदन करना अनिवार्य होगा।
10. एक जिले से एक वर्ग में एक से अधिक प्रकरण प्राप्त होने की स्थिति में पहले प्रकरण की स्वीकृति/अस्वीकृति की जानकारी प्राप्त होने तक अन्य प्रकरणों को प्रतिक्षा में रखना होगा।
11. आवेदक जिस जिले के अंतर्गत केन्द्र स्थापित करना चाहता है उसी जिले के किसी बैंक शाखा से ही अपना प्रकरण स्वीकृत कराना होगा । अन्य जिले में प्रकरण स्वीकृति हेतु नहीं भेजा जावेगा ।
12. स्वीकृत बैंक ऋण में सबसिडी की राशि पर बैंक द्वारा हितग्राही से कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा । ऋण राशि अदा करने में असफल होने की स्थिति में हितग्राही को अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा तथा बैंक की ऋण राशि, जिसमें अनुदान राशि एवं देय ब्याज सम्मिलित होगा, वापस चुकानी होगी ।
13. स्वीकृत ऋण की वसूली अधिकतम 9 वर्ष में की जावेगी तथा ऋणस्थगन अवधि (Moratorium Period) अधिकतम 6 माह रहेगी ।
14. स्वीकृत किये गये ऋण को 4 वर्ष की अवधि (Lock-in Period) के पूर्व पूर्णरूप से लौटाया नही जा सकेगा । इस अवधि के पूर्व हितग्राही द्वारा बैंक ऋण पूर्ण रूप से

Director
Directorate of Agri. Engineering
M.P. BHOPAL

चुकाने पर हितग्राही को अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी । इस स्थिति में बैंक द्वारा अनुदान की राशि शासन को वापस की जाना होगी ।

15. योजना के तहत क्रय किये गए पैडी हार्वेस्टर को ऋण प्रदाय किये गये बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/संस्था को हितग्राही द्वारा ऋण अवधि तक विक्रय/रेहन (Mortgage) अथवा हस्तांतरित नही किया जा सकेगा । इसका उल्लंघन किये जाने पर शासन नियमानुसार अनुदान राशि मय ब्याज के वापस करना होगी । राशि वापस न किये जाने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व वसूली की भांति की जा सकेगी ।

16. भारत सरकार द्वारा कृषको को ऑनलाईन कृषि यंत्र किराये से प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से "KRISHI MAPPER"/ MP Kisan App प्रारंभ किया गया है । अनुदान प्राप्त सभी हितग्राहीयों को अपना पंजीयन भारत सरकार के "KRISHI MAPPER"/ MP Kisan App App पर करवाना अनिवार्य होगा । "KRISHI MAPPER"/ MP Kisan App App पर पंजीयन की पुष्टि के बाद ही अनुदान भुगतान किया जावेगा ।

(क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सबसिडी से तात्पर्य यह है कि शासन द्वारा अनुदान बैंक को दिया जायेगा । अनुदान का समायोजन हितग्राही द्वारा बैंक के ऋण को पूर्ण रूप से चुकाने के बाद हितग्राही के खाते में किया जावेगा। इस अनुदान राशि एवं मार्जिन मनी को कुल प्रोजेक्ट राशि से घटाने के उपरांत बची शेष राशि पर ही बैंक द्वारा ब्याज लिया जायेगा। हितग्राही द्वारा बैंक ऋण वापस न करने की स्थिति में (डिफाल्टर घोषित होने पर) अनुदान राशि उसे नहीं दी जायेगी तथा इस राशि को भी ऋण मानते हुये बैंकों द्वारा पूरी राशि की वसूली हितग्राही से की जायेगी।)

संचालक कृषि
अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

स्तो/तक/पैडी.हावे.के/2025-26/ I/6812867/2025

परिशिष्ट-1

वर्ष 2025-26 हेतु पैडी हार्वेस्टर केन्द्र हेतु चिन्हित जिलें

क्रमांक	जिला
1	भोपाल
2	सीहोर
3	रायसेन
4	विदिशा
5	राजगढ़
6	नर्मदापुरम्
7	हरदा
8	बैतूल
9	ग्वालियर
10	शिवपुरी
11	गुना
12	अशोकनगर
13	दतिया
14	मुरैना
15	श्योपुर
16	भिण्ड
17	दमोह
18	पन्ना
19	जबलपुर
20	कटनी
21	बालाघाट
22	छिंदवाड़ा
23	सिवनी
24	मण्डला
25	नरसिंहपुर
26	डिण्डोरी
27	रीवा
28	सीधी
29	सतना
30	सिंगरौली

Director
Directorate of Agri. Engineering
M.P. BHOPAL

31	शहडोल
32	अनुपपुर
33	उमरिया

संचालक कृषि
अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल